“आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास आगामी आदेश तक बन्द“

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
M-19-03-2020-1.docx (http://103.203.138.54/news/195291/document/M-19-03-2020-1.docx)

DESCRIPTION

“आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास आगामी आदेश तक बन्द“

जयपुर,19 मार्च। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समस्त आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों को आगामी आदेश तक बन्द रखा जायेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मा. भॅवरलाल मेघवाल ने गुरूवार को इस संबंध में विभाग को एडवाईजरी जारी करने के निर्देश दिये है। इसके तहत समस्त आवासीय विधालयों एवं छात्रावासों को बन्द करते हुए यहॉ अध्ययनरत एवं आवासरत विधार्थियों को घर भिजवाने के लिए कहा गया है।

श्री मेघवाल ने बताया कि कोराना वायरस के विश्व व्यापी संकट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा एहतियात बरतते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है। इसी क्रम में विभाग ने निर्णय लिया है कि विधार्थियों में किसी प्रकार का संक्रमण न हो इसके लिए आवासीय विधालयों एवं छात्रावासो को आगामी आदेश तक बन्द रखा जायेगा और कोई विधार्थी आवासीय विधालय एवं छात्रावास में नही रहेगें।

SUPPORTING IMAGES

Copyright © 2016 Information and Public Relations Department. All Right Reserved.

Last Updated On: **18/4/2020**
You are visitor No.:

001688795

Website Policies (/content/dipr/en/websitepolicies.html) | Disclaimer (/content/dipr/en/disclaimer.html) |

Accessibility (/content/dipr/en/accessibility.html) | Sitemap (/content/dipr/en/sitemap.html)

Nodal Officer: **Sh. Arun Kumar Joshi**

Designation : Joint Director(News)

Mobile Number : 9610409010

Email: dpr-comp-rj@nic.in

This website belongs to Information and Public Relations Department

We're on social networks

(https://[illegible]/UC2oIZW3EmG59rjejhn

(https://validator.w3.org/) (https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer)